कार्यालय : राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.

सी-1, विक्रान्त खण्ड 1 (निकट शहीद पथ), गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक 1762/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./2015 दिनांक 07 जुलाई, 2015

आदेश

आयोग में पुरानी लंबित अपीलों के शीघ्र निस्तारण हेतु सूचीबद्ध किये जाने की प्रकिया संबंधी आदेश सं. 4502/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./2014 दि. 29.12.2014 के क्रमांक 4 व 5 पर अंकित निर्देश को निम्नवत संशोधित किया जाता है -

मा. उच्चतम न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय एवं मा. राष्ट्रीय आयोग के समयबद्ध निस्तारण संबंधी अपीलों अथवा सामान्य 'रिमांड' की गई अपीलों को प्रथम बार न्याय कक्ष संख्या 1 में सूचीबद्ध हो चुकने के उपरांत, यदि मा. पीठ का कोई अन्यथा आदेश न हो, उन सभी को, चाहे वे वर्ष 2005 के पूर्व की हों या उसके उपरांत की हों, उनकी श्रेणी (Category) के अनुसार संबंधित न्याय कक्षों में नियत तिथि पर सूचीबद्ध किया जायेगा।

यह आदेश दि. 10.07.2015 की कॉजलिस्ट से प्रभावी होगा।

(न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. समस्त मा. सदस्यगण, राज्य आयोग।
2. निबन्धक, राज्य आयेाग।
3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, निबन्धन/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी, राज्य आयोग।
4. प्रशासनिक अधिकारी (अभिलेखागार/अधिष्ठान पटल), राज्य आयोग।
5. वरिष्ठ सहायक (रीडर), न्याय कक्ष सं. 1, 2, 3, 4 व 5 ।
6. नोटिस बोर्ड।
7. अध्यक्ष, ऑल यू.पी. कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन बार एसोसिएशन, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, प्रोग्रसिव कन्ज्यूमर बार एसोसिएशन, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, स्टेट कन्ज्यूमर कमीशन बार एसोसिएशन, लखनऊ।

(मो. रईस सिददीकी)
निबंधक